राजस्थान सरकार
स्वायात्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

कमांकः–प.8(ग) ( )नियम/डीएलबी/2012/32727-32917 दिनांकः 26/12/17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगरनिगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–पतंग उडाने के प्लास्टिक/सिन्थेटेटिक/चाईनीज/हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास, इत्यादि के धागे का निर्माण, विपणन एवं उपयोग प्रतिबन्ध करने बाबत्।

प्रंसगः–इस विभाग का परिपत्र समसख्यंक क्रमांक 16196–16424 दिनांक 10.12.12, समसंख्यक क्रमांक 841–106दिनांक 8.1.13, समसंख्यक क्रमांक 554–744 दिनांक 10.1.14,समसंख्यक क्रमांक 09–193 दिनांक 05.1.15 एवं समसंख्यक क्रमांक 1–187 दिनांक 04.01.2016 एवं समसंख्यक क्रमांक 20–210 दिनांक 03.01.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक परिपत्रो के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आपको माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ दीवानी याचिका (PIL) DBCWP संख्या 15793/11 श्री महेश अग्रवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य मे दिनांक 22.8.12 रिपोर्टेबल पारित निर्णय की पालना के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया था कि प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे व सांय 5:00 बजे से 7:00 बजे की अवधि के मध्य पतंग को उडाया जाना प्रतिबन्धित होगा एवं प्लास्टिक अथवा अन्य सिन्थेटेटिक धागे से बना मांझा या जहरीले पदार्थो जैसे लोहा, ग्लास, इत्यादि के धागे का निर्माण, विपणन एवं उपयोग प्रतिबन्धित रखा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धित पक्के धागे का निर्माण, विपणन एवं उपयोग आपके स्थानीय क्षेत्र मे प्रतिबन्धित रखा जाना सुनिश्चित करे एवं माननीय न्यायालय के आदेशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकः–प.8(ग)( ) नियम/डीएलबी/2012/32918-32968 दिनांकः 26/12/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01.निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव,मान0मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान सरकार,जयपुर।
02.निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
03. निजी सचिव,महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायात्त शासन विभाग राज0जयपुर।
05. निजी सचिव,निदेशक एवं सयुंक्त सचिव महोदय, स्वायात्त शासन विभाग राज0जयपुर।
06 जिला कलेक्टर,समस्त राजस्थान।
07. क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
08. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावे।
09. नोडल अधिकारी बेवसाइड, डीएलबी को उक्त पत्र को विभाग की बेवसाइड पर अपलोड करवाकर अवगत करावे।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

letter/doc..